उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान अनुभाग

संख्या- 45/2023/2258/58-2023/1382377-2023

लखनऊ : दिनांक : 18 सितम्बर, 2023

<u>शुद्धि पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2401-119-03-0306- गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-1062.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 177.08 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृत कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शासन के पत्र संख्या- 42/2023/2146/58-2023/1382377-2023, दिनांक 11.09.2023 द्वारा प्रदान की गयी है।

2. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 11.09.2023 के प्रस्तर-2 (1) में त्रुटिवश निम्नवत शर्त का उल्लेख कर दिया गया है:-

"उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।"

3. अतएव शासनादेश संख्या-42/2023/2146/58-2023/1382377-2023, दिनांक 11.09.2023 में उल्लिखित उक्त शर्त को विलोपित करते हुये शेष शर्तों को यथावत पढ़ा जाय।

4. उक्त शासनादेश दिनांक 11.09.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष व्यवस्था व शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 45/2023/2258(1)/58-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र सं0-61/बजट/2023-24, दिनांक 18.09.2023 के संदर्भ में।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज।

(4) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संकठा प्रसाद)
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in